

भारतीय किसानों की आत्महत्या : एक विवेचन

डॉ. गायकवाड डी.एस.

भूगोल विभागप्रमुख

श्री संत दामाजी महाविद्यालय, मंगळवेढा

Article Info	ABSTRACT
Article History: Received: 26th Sep 2025 Accepted: 10th Oct 2025 Published: 25th Oct 2025 Keywords: कृषि संकट, किसान आत्महत्या, ऋणजाल	भारत की कृषि आधारित अर्थव्यवस्था में किसान सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, किन्तु बढ़ती लागत, प्राकृतिक आपदाएँ, अनुचित मूल्य-निर्धारण, साहूकारी शोषण और ऋण के बोझ के कारण उसका जीवन निरंतर संकटग्रस्त होता जा रहा है। मौसम के उतार-चढ़ाव, बैंक व साहूकारों के अत्यधिक ब्याज, महंगे बीज व रसायन तथा बाज़ार की अनिश्चितता के कारण किसान आर्थिक, सामाजिक और मानसिक तनाव से घिर जाता है। परिणामस्वरूप देश के अनेक क्षेत्रों में किसानों की आत्महत्या एक गहरी राष्ट्रीय समस्या बन चुकी है। प्रस्तुत अध्ययन में कृषक जीवन की कठिनाइयों, ऋण-जाल, बाज़ार तंत्र, वैश्वीकरण के प्रभाव और सरकारी नीतियों के संदर्भ में किसान आत्महत्या की समस्या का विश्लेषण किया गया है तथा इसके समाधान हेतु आवश्यक सुझाव प्रस्तुत किए गए हैं।

Plagiarism Check Report:

Tool Used: Turnitin

Date of Report: Oct 09, 2025

Similarity Index: 3%

Remarks: No significant matching text. All citations and matches are properly referenced. The manuscript is considered original.

Copyright © 2025 The Author(s). This is an open access article distributed under the Creative Commons Attribution License, (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>) which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.

How to Cite: Gaikwad, D. S. (2025). भारतीय किसानों की आत्महत्या : एक विवेचन. IIP: International Multidisciplinary Research Journal (IIPMRJ), 2(IV), 871-875.

प्रास्ताविक:

भारत कृषि प्रधान देश है। वास्तविक भारत वर्ष गांव में बसा है। कृषि सम्पूर्ण अर्थव्यवस्था के भाग्य का निर्धारण करती है। कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी हैं। भारत के दो तिहाई नागरिकों के लिए जीविकोपार्जन का साधन है। खेती हमारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण अंग हैं। कृषि करनेवालों को कृषक कहते हैं, जो कि ग्राम्य जीवन का एक मुख्य अंग है। भारतवर्ष गावों से बना है, गाँवों में रहनेवाले अधिकतर लोग कृषि से सम्बद्ध रहते हैं। अतः भारत कृषकों का देश है। भारतीय कृषक जीवन दरिद्रता, शोषण और निरक्षरता आदि का शिकार हो गया है। इस कारण वह दिन-ब-दिन गरीब होता जाने लगा हैं। आर्थिक असमानता, जमींदारों, सेठ-साहूकारों, व्यापारियों, कारखानदारों, उद्योगपतियों, देशी-विदेशी ठेकेदारों, शासकीय, अर्धशासकीय अधिकारियों आदि के शोषण के परिणामस्वरूप कृषक वर्ग दयनीय हो गया है। ऋण लेना किसानों के लिए आवश्यक हो गया है। “आजकल ऋण बैंक्स, सहकारिता बैंक्स, लैसेंसड बैंक और गैर लैसेंस बैंक भी देने लगे। ऋण का अर्थ है 'लोन'। वर्तमान ग्रामीण समाज में बैंकों से ऋण लेना एक फैशन बन गया है। जब किसान अकाल के कारण या फसल ठीक न होने के कारण जब 'ऋण न चुकाकर वह करषष्टो के बवंडर में गिर जाता है, तब सहायता करनेवाले बैंक भी किसान को सताते हैं। ऋण वसूल करने के लिए वे किसान को सताते हैं और अपमान करते हैं। घर के दरवाजे भी खींच ले जाते हैं। कोई इज्जतदार अपना सर्वस्व बेचकर है। जब ऋण नहीं चुका सकता तब वह बेइज्जती का या आत्महत्या का भागी बन जाता है।

किसान की खेती मौसम की मेहरबानी पर निर्भर है। मौसम के उतार-चढ़ाव के कारण खेती पर संकट आता है। मौसम का परिवर्तन इस तेजी के साथ होता है कि किसान को संभलने का अवसर ही नहीं मिलता। अतिवृष्टि, सूखा, बाढ़, ओलावृष्टि, आग आदि कारणों से किसान की खेती घाटे में आती है। प्रथम तो नाना प्रकार के विघ्न हैं। हवा है, पानी है, आग है। पशु है, पक्षी हैं और वन्य जीव हैं। चोर-लुटेरे भी हैं। इन सबसे बचता-बचाता यदि सारा अनाज घर पहुंचता है तो वह ऋण चुकाने-भर को तो होता ही है। यदि कुछ बचता है तो दो-एक महिने में समाप्त हो जाता है। लगान है, भोजन है, बीज है बिमारियाँ हैं, कोऑपरेटिव का कर्जा है। कपड़ा-लत्ता, तमाखू, शादी-ब्याह, नाना रस्मरिवाज आदि का व्यय बढ़ता ही जाता है। उसे पुनः ऋण लेना पड़ता है, यदि ऐसी बात हो कि वह जितना लेता है उतना ही देना पड़े तब भी खैरियत होती। त्रधन प्रगतिशील होता है। उसकी गतिशीलता के आगे किसान का श्रम गतिशून्य हो जाता है। यह ऋण कभी-कभी तो दूना-चौगुना, यहाँ तक कि बीस गुना-तीस गुना हो जाता है।सारे जीवन को ऋण के बादल आच्छादित करके एकदम धुआंधार कर देते हैं। इस प्रकार यह ऋणचक्र अनवरत गति से चलता रहता है] यदि ऋण बैंक का है, सरकार का है, तब और आफत।⁽²⁾

किसान और साहूकार का आपसी रिश्ता पीढ़ियों पुराना होता है और पूरी तरह विश्वास पर आधारित होता है। साहूकार ने तो अपना ही गणित और पहाड़े बना रखे हैं। किसान चुपचाप अपना अंगूठा लगाकर ऋण ले आता है। ये साहूकार 5 रु. प्रति सैकड़ा प्रति माह की दर से ब्याज पर किसान को ऋण दे देते हैं जिसकी कोई गारंटी नहीं होती है, और न ही कोई अभिलेख मांगे जाते हैं बल्कि उसकी चल-अचल संपत्ति और उसकी सामाजिक प्रतिष्ठा को देखते हुए ऋण दिया जाता है। आजकल साहूकार 8 रुपये से 10 रुपये तक प्रति सैकड़ा प्रति माह की दर से ब्याज ले रहे हैं जिससे किसान आकण्ठ ऋण में डूब रहे हैं। इतनी भारी ब्याज की रकम अदा करने के बाद भी वह ऋणमुक्त नहीं हो सकता है। अतः लोक-लाज के कारण वह आत्महत्या कर लेता है। ऐसी स्थिति में वित्तिय संस्थाओं से लिए गए त्रधन तो प्रकाश में आते हैं परंतु साहूकार द्वारा दिया गया ऋण कहीं भी उजागर नहीं होता। फिर धीरे-धीरे महिलाओं के शरीर पर से जेवर कम होता जाता है। जेवर जो शरीर से उतरकर किसी साहूकार की तिजोरी में गिरवी हो जाते हैं। नई बहू जब घर आती है तो नए घागरे, लुघड़े, पोलके, तोड़ी, बजपट्टी, ठुस्सी, झालर, लच्छे, बैदा, करघनी भी धीरे-धीरे साहूकार की तिजोरी की शोभा बढ़ाते हैं। गावों में आज भी विवाह और मृत्यु दोनों ही किसान-परिवार को समान रूप से कर्जे में डूबाकर चले जाते हैं। विवाह में मेहमान जुटते हैं, पूरे गांव को और आस-पास के

रिश्तेदारों को खाना दिया जाता है और मृत्यु होने पर वहीं होता है। अंतर सिर्फ इतना ही है कि विवाह के अवसर पर उल्लास होता है और किसान की आत्महत्या के कारण हुई मृत्यु पर दुःख।

खरपतवार नाशक, कीट नाशक और खाद का खर्चा प्रति एकड़ बहुत ही आता है। पलेवा और सिंचाई, बिजली या डीजल पर का खर्चा करीब ज्यादा ही आता है। फसल की कटाई और मेहनत-मजदूरी आदि अन्य खर्च मिलकर इस प्रकार मोटा-मोटा हिसाब लगाया जाए तो प्रति एकड़ जो व्याय होता है कि किसान के पास इतना भी नहीं बचता है कि वह ऋण का भुगतान कर सके, परिवार का भरण-पोषण कर सके। छोटे किसान का पूरा परिवार खेतों में मजदूर की तरह लगा रहता है। इसके बाद भी आसमानी-सुलतानी (प्राकृतिक अपदाएं) हो गईं, मौसम की मार पड़ गई और उपज घट गई तो छोटा और सीमान्त किसान जीवनभर ऋण में रहता है और उसके लिए आत्महत्या एकमात्र पर्याय बचता है।

किसानों का समर्थन कर रहे समूह का कहना है कि अनाज की वास्तविक कीमतें किसानों को नहीं मिलती और उन्हें जीएम कंपनियों से काफी महंगे बीज और खाद खरीदने होते हैं। जीएम बीज को खरीदने में कई किसान गहरे कर्ज में डूब जाते हैं। जब फसल की सही कीमत नहीं मिलती है तो उनके लिए आत्महत्या करना यह एकमात्र विकल्प बनता है। बिडम्बना यह है कि जब भी कृषि उत्पाद बाजार में आता है तो उसके मूल्य निरंतर गिरने लगते हैं और मध्यस्थ या ठेकेदार सस्ती दरों पर उनका माल क्रय कर लेते हैं जिससे कृषि घाटे का व्यावसाय बना हुआ है। दुर्भाग्य है कि संबंधित लोग औद्योगिक क्षेत्रों के उत्पादन की दरें लागत, मांग और पूर्ति का ध्यान में रखते हुए निर्धारित करते हैं। परंतु, कृषि उत्पाद का मूल्य या दरें या तो सरकार या क्रेता द्वारा निर्धारित किया जाता है। उसमें भी तत्काल नष्ट हो जानेवाले उत्पाद की विक्री के समय किसान असहाय दिखाई देता है।

भूमंडलीकरण के दौर में कृषि पर आधुनिक तकनीकी बहुराष्ट्रीय कंपनियों के माध्यम से जो इस देश में आती है उसे कृषि का प्रचार-प्रसार तंत्र उन देशों तक पहुंचाने में लाचार नजर आते हैं, यह विचारणीय एवं गंभीर विषय है। कृषि योग्य भूमि का अंधाधुंध अधिग्रहण किए जाने से कृषि योग्य भूमि अत्यधिक संकुचित होती चली जा रही है, जो बढ़ती हुई जनसंख्या के भरण हेतु कृषि उत्पादन के लिए अक्षम होगी। संपन्न राष्ट्रों ने विकासशील देशों में कई कारखानों का निर्माण कर वहां के जल और वायु के प्रदूषण को बढ़ाया है। बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ औद्योगिक विकास की आड़ में प्राकृतिक संसाधनों का अंधाधुंध दोहन कर रही हैं। परिणामतः ग्लोबल वार्मिंग के खतरे बढ़ रहे हैं। परंतु, 'पाप' बेचने का व्यापार यहाँ खूब चला सकते हैं। कार्बन क्रेडिट की खरीद फरोख्त करके अपितु किसानों को डिजल पम्प की जगह पैरो से चलनेवाला पम्प मुक्त में दे देंगे। 'सेज' बनाने के लिए दो-चार सौ किसानों को उजाड़ देंगे। उनकी गंधी की हुई हवा को साफ करने के लिए किसान यहाँ पेड़ लगाते रहें और घोड़ों-बैलों की तरह शरीर के जोर से सारे काम करते रहें। ग्लोबल वार्मिंग का दायित्व किसानों पर लादा जा रहा है। कार्बन क्रेडिट का व्यावसाय ज़ोरों पर है। विकास के नाम पर किसान, आदिवासी, देहाती, गरीब लोगों को विस्थापित किया जा रहा है। रवि कान्तजी के शब्दों में- वैश्वीकरण और बाजारवाद का प्रभाव विशेषकर भारतीय संदर्भ में किसान, मजदूर, आदिवासी, स्त्री, अल्पसंख्याक और दलित वर्ग पर, संक्षेप में कहे, तो दमित व शोषित वर्गों पर व्यापक रूप से दिखाई दे रहा है/ (3)

1990 दशक से भारत में किसानों की आत्महत्या के मामले सामने आते रहे हैं। पहले-पहल महाराष्ट्र में बड़े पैमाने पर किसानों की आत्महत्या की घटनाएं सामने आईं और उसके बाद दो-दो अन्य राज्यों में भी किसानों की आत्महत्या देखने को मिली। जहाँ पहले देश में किसानों की आत्महत्या की खबरें महाराष्ट्र के विदर्भ और आंध्र प्रदेश के तेलंगना क्षेत्र से ही आती थी, वही अब इसमें नए इलाके जुड़ गए हैं। इनमें बुंदेलखण्ड जैसे पिछड़े इलाके नहीं, बल्कि देश की हरित क्रांति की कामयाबी में अहम भूमिका वाले हरियाणा, पंजाब, पश्चिमी उत्तर प्रदेश जैसे राज्य शामिल हैं। इसके साथ ही औद्योगिक और कृषि विकास के आंकड़ों में रिकार्ड बनाने वाले गुजरात के क्षेत्र शामिल हैं। राज्यस्थान और मध्यप्रदेश के किसान भी अब आत्महत्या जैसे घातक कदम उठा रहे हैं ब्रिटेन के निवे-

जिम रोजर्स ने बीबीसी के एक बहस के दौरान कहा कि पिछले कुछ सालों में भारत में लाखों किसानों ने आत्महत्या की हैं। अधिकारिक तौर पर वर्ष 1995 से अब तक 270000 किसानों ने आत्महत्या की हैं... हर साल भारत में हजारों किसान आत्महत्या करते हैं। सरकार के ताजा आंकड़ों के मुताबिक 2011 में करीब 14 हजार किसानों ने आत्महत्या की हैं। प्रभात झा के अनुसार वर्ष 2010 में करीब 1,90,000 आत्महत्याएं हुई हैं, इसमें किसान महज 10 फीसदी है। प्रभात झा के नतीजों और संयुक्त राष्ट्र के आंकड़ों के मुताबिक, भारत में प्रति एक लाख लोगों में 15 लोग आत्महत्या करते हैं। खेती से जुड़े लोगों में यह हिस्सेदारी घटकर प्रति लाख 7 लोगों की हो जाती है। वर्ष 2007 तक महाराष्ट्र में 4238, आंध्र प्रदेश में 1797, कर्नाटक में 2135, मध्यप्रदेश में 1 में 1263 किसानों ने आत्महत्या की है।

बैंक का कर्ज चुकाने में अपनी पूरी जिंदगी की कमाई लुटा देने के बाद मौसम और सरकारी नीतियों की मार झेलते किसी किसान की आत्महत्या सिर्फ इस आधार पर सरकारी दस्तावेजों में किसान की आत्महत्या के रूप में दर्ज नहीं होती कि बैंक के लेजर्स में उसके विरुद्ध कर्ज की कोई रकम बाकी नहीं है। जिंदगी की महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों के बीच बार-बार खेत हानि के बाद आत्महत्या को मजबूर हुये किसी नवयुवक की आत्महत्या एक किसान की आत्महत्या नहीं मानी जाती। क्योंकि सरकारी दस्तावेजों में भू-स्वामी के नाम के सामने उस किसान-पुत्र का नाम न हो कर उसके पिता का नाम अंकित होता है। आंकड़ों के गणित के आधार पर अपने राज्यों की छवि और सरकारी कोषों की निधि बचाने सरकारी कवायदें अंततः किसान विरोधी ही साबित होती है। (4)

महाराष्ट्र की कृषि समस्या का एक छोर कपास से जुड़ा है तो दूसरा गन्ने की खेती से। कपास की खेती करनेवाले किसान जहां अनुचित मूल्य निर्धारण, मंहगे और धरती की उर्वरा शक्ति का दोहन करनेवाले बीज, महाजनों और साहूकार के रक्तचूसक व्याज और बिघड़ते मौसम चक्र के प्रतिकूल आघातों के बीच पारिवारिक जिम्मेदारी और सामाजिक प्रतिष्ठा के निर्वहन में नाकामयाब होकर आत्महत्या करने को मजबूर है। गन्ना किसानों का सुख-चैन भी प्रदेश की राजनीति दखल रखनेवाले चीनी मिल मालिकों की आंतरिक उठापटक और रायवतरी की भेट चढ़ जाता है। नेशनल क्राइम रिकार्ड ब्यूरो द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों के अनुसार 1995 के बाद हमारे देश में आठ लाख किसानों ने आत्महत्या की है, जिसमें महाराष्ट्र के कपास-किसानों की संख्या सर्वाधिक है। कपास की खेती करनेवाला चीनी किसान लगातार समृद्ध होता जा रहा है और भारतीय किसान लगातार आत्महत्या को मजबूर क्यों हैं ? पिछले साल उत्तर प्रदेश से किसानों के आत्महत्या की खबरें आई तो उसकी वजह वहां किसानों का चीनी मिलों पर हजारों करोड़ रूपयों का बकाया है। उसके बाद हालात और बदतर हुए हैं। अभी भी उत्तर प्रदेश की चीनी मिलों पर किसानों का करीब आठ हजार करोड़ रुपये बकाया है। बड़ी तादाद में ऐसे किसान हैं जिनकी जोत दो एकड़ या इससे भी कम है, लेकिन उनको दो साल से गन्ना मूल्य का अंशिक भुगतान ही हो सका है।

मिडिया फॉर राइट्स विकास संवाद की अपनी वेब सामग्री में लिखते हैं-“ किसानों की आत्महत्या के तात्कालिक 8 प्रकरणों का विश्लेषण हमें इस नतीजे पर पहुंचाता है कि सभी किसानों पर कर्ज का दबाव था। फसल का उचित दाम नहीं मिलना, घटता उत्पादन, बिजली नहीं मिलना परंतु बिल का बढ़ते जाना, समय पर खाद, बीज नहीं मिलना और उत्पाद कम होना। म. प्र. के किसानों की आर्थिक स्थिति के बारे में चौंकाने वाले आंकड़े सामने आ रहे हैं। प्रदेश के हर किसान पर औसतन 14 हजार 218 रुपये का कर्ज है। वहीं प्रदेश के कर्ज में डूबे किसान परिवार की संख्या भी चौंकाने वाली है। यह संख्या 32,11,000 है। मं. प्र. के कर्जदार किसानों में 23 फीसदी किसान ऐसे हैं, जिनके पास 2 से 4 हेक्टेयर भूमि है। साथ ही 4 हेक्टेयर भूमि वाले कृषकों पर 23,456 रुपये कर्ज चढ़ा हुआ है। कृषि मामलों के जानकारों का कहना है कि प्रदेश के 50 प्रतिशत से अधिक किसानों पर संस्थागत कर्ज चढ़ा हुआ है। किसानों के कर्ज का यह प्रतिशत सरकारी आंकड़ों के अनुसार है, जबकि किसान नाते/रिश्तेदारों, व्यावसायिक साहूकारों, व्यापारियों और नौकरीपेशा से भी कर्ज लेते हैं। जिसके चलते प्रदेश में 80 से 90 प्रतिशत किसान कर्ज के बोझ तले दबे हैं।”

पश्चिम बंगाल में और भारत वर्ष में कृषक वर्ग के असंतोष और विद्रोह का इतिहास समकालीन घटना मात्र नहीं हैं। दार्जिलिंग जिले के नक्सलवादी, खडीबाडी और फासी लगने वाले अधिकांश भाग के रहने वाले भूमिहीन किसान हैं। स्थानीय जमींदारों ने बहुत दिनों से चली आ रही aa की व्यवस्था में उन पर अपना शोषण जारी रखा। इसके विरोध ही किसानों का असंतोष और विद्रोह हैं। उस आंदोलन में एक ही तरह से वंचित-शोषित किसान को आंध्र में, केरल में, तमिलनाडू में, बिहार में और उडिसा में प्रेरणा दी। जिसे नक्सलवादी आंदोलन नाम दिया गया है। “ आज विश्व एक ऐसी जटिल और खतरनाक अवस्था से गुजर रहा है कि भूमंडलीकरण एक शब्द नहीं रहा-एक संस्कृति है।.....आज विश्व बाजार-व्यवस्था में राष्ट्रीय पंजी और अंतरराष्ट्रीय पूंजी की पारस्परिकता इतनी बढी है कि दोनों एक हो गए हैं।” (6)

निष्कर्ष :

भारत में बड़े पैमाने पर किसान आत्महत्या कर रहे हैं। आज यह समस्या केवल राष्ट्रीय समस्या नहीं रही है भूमंडलीकरण के कारण अंतरराष्ट्रीय समस्या बन गई हैं सरकार दावा कर रही है कि उन्होंने आत्महत्या के मामलों को कम करने हेतु कई कदम ठठाए हैं, लेकिन मौजूदा स्थिति ज्यों-का-त्यों है। आज तक लाखों किसानों ने आत्महत्या की है, कर रहे हैं क्योंकि वे जीने लायक पैसे भी नहीं कमा पाते। त्रधन का पहाड उन पर गिरता ही रहता हैं। समय-समय पर केंद्र या राज्य सरकार ने त्रधन माफी की अनेक योजनाएं कार्यान्वित की हैं। परंतु उसका सही दिशा में अमल होता तो किसानों की इतनी दुर्दशा शायद नहीं होती। अगर सरकार किसानों के उत्पाद को उचित मूल्य देने के लिए कानून बनायेगी तो किसानों को उचित न्याय मिल सकता हैं। बीज, उर्वरक, कीटकनाशक, खाद तथा आधुनिक यंत्र-सामग्री अत्यल्प मूल्यों पर सरकार की ओर से उपलब्ध होनी चाहिए। उत्पाद बढे इसलिए आधुनिक प्रणाली का विकास करना चाहिए। रासायनिक खाद एवं औषधियों का प्रयोग कम करके देशी बीज एवं प्रकृतिक साधन-सामग्री का प्रयोग ही व्यापक मात्रा में करना चाहिए। धरती की छाती को चिरकर अन्न उगाने वाले किसान, हम सबके पालनहार को अब फांसी के फंदे से बचाकर ही हम अपने राष्ट्र की उन्नति कर सकते हैं

संदर्भ :

- (1) अंतिम दशक के हिंदी उपन्यासों में ग्रामीण जीवन का चित्रण-डॉ. मोहम्मद जमील अहमद, अन्नपूर्ण प्रकाशन, कानपुर, पृ.164.
- (2) अंतिम दशक के हिंदी उपन्यासों में ग्रामीण जीवन का चित्रण-डॉ. मोहम्मद जमील अहमद, अन्नपूर्ण प्रकाशन, कानपुर, पृ.238.।
- (3) वागार्थ, मासिका पत्रिका, अंक-224. मार्च, 2014. पृ. 66.
- ४) समालोचन: परख: फास (संजीव): राकेश बिहारी, पृ.3.
- (5) www.mediaforright.org 4.2.
- (6) समकालीन भारतीय साहित्य-द्वैमासिक पत्रिका, जुलाई-अगस्त, 2011. पृ. 204.